

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा-भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/ 766 /08/न्या/अनु.शा./आउशि/22
प्रति,

भोपाल दिनांक 29/01/2022

प्राचार्य,
समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष करने के अनुक्रम में जानकारी उपलब्ध कराने बावत ।


--000--

उपरोक्त विषयांकित उल्लेख है कि मान. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिपालन में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षको (यूजीसी वेतनमान प्राप्त) की अधिवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष निर्धारित की गई है । इसके फलस्वरूप दिनांक 01.04.2010 की स्थिति में आपके महाविद्यालय में कार्यरत और उक्त तिथि के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों के संबंध में निम्न प्रपत्र में जानकारी वांछित है :-

स क्र	दिनांक 01.04.10 की स्थिति में कार्यरत अधिकारी का नाम पदनाम	नियुक्ति दिनांक	01.04.10 के पश्चात 62 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्ति दिनांक	65 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्ति दिनांक	रिज्वाइन के फलस्वरूप भुगतान की गई वेतन एरियर्स की राशि	अवधि जिसका भुगतान किया गया	अकार्य दिवस की अवधि जिसका भुगतान होना शेष है	कॉलम-8 भुगतान की जाने वाली राशि	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रपत्र में व्यक्तिवार जानकारी दिनांक 7.5.2022 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । साथ ही इस जानकारी की कम्प्यूटर में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल वर्कशीट तैयार फाईल की साफ्ट प्रति बजट शाखा के ईमेल budgetedu@mp.gov.in पर उपलब्ध करायी जावे ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार)


(डॉ. पूर्णमा होदवाल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी


उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल

भोपाल दिनांक 29/01/2022

पृ.क्रमांक/ 767 /08/न्या/अनु.शा./आउशि/22
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
2. प्राचार्य/शिक्षाधिकारी, शासकीय तिलक महाविद्यालय, कटनी ।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल